

# कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

—:: निविदा सूचना ::—

क्रमांक / 7708 / जि.ना. / 2019,

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर, 2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर रायगढ़ के आदेश क्रमांक 7408/वित्त-लेखा/2019, दिनांक 16.09.2019 के द्वारा राजस्व स्थापना जिला रायगढ़ के अन्तर्गत निम्नानुसार शासकीय वाहनों को निष्प्रयोजित घोषित किये जाने के फलस्वरूप नीलामी हेतु सीलबंद निविदा दिनांक /09/2019 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, वाहनों विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	शास. वाहन का क्रमांक	वाहन का प्रकार	निर्धारित अपसेट प्राईज	कार्यालय जहाँ वाहन रखा गया है
01	03		04	
1	सी.जी.-02-2772	टाटा सूमो	40,000/-	अनु.विभा.अधि.(राजस्व) सारंगढ़,
2	सी.जी.-02-8384	टाटा सूमो स्पेसियो	75,000/-	अनु.विभा.अधि.(राजस्व) घरघोड़ा
3	सी.जी.-02-8383	टाटा सूमो	60,000/-	- / - धरमजयगढ़,
4	सी.जी.-02-3657	जीप	30,000/-	तह. पुसौर, जिला रायगढ़
5	सी.जी.-02-3658	जीप	35,000/-	तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़
6	सी.जी.-02-3659	जीप	40,000/-	तह. तमनार, जिला रायगढ़
7	सी.जी.-02-2843	टाटा सूमो स्पेसियो	40,000/-	जि.ना. जिला कार्यालय रायगढ़
8	सी.जी.-02-8900	टाटा सूमो विष्ट	45,000/-	जि.ना. जिला कार्यालय रायगढ़
9	सी.जी.-02-7227	महिन्द्रा बोलेरा	40,000/-	जि.ना. जिला कार्यालय रायगढ़
10	सी.जी.-13ZD-0660	महिन्द्रा मार्शल	35,000/-	जि.ना. जिला कार्यालय रायगढ़

नीलामी की शर्तें :-

1. वाहन जहाँ तथा जिस स्थिति में है, कार्यालयीन दिनों में अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य वहाँ जाकर अवलोकन किया जा सकता है।
2. निविदाकर्ता को निविदा के साथ धरोहर राशि रु. 5000/- (अक्षरी :- राशि रु. पाँच हजार) का सविध जमा रसीद (टी.डी.आर.) कलेक्टर रायगढ़ के हित में तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा दिनांक 10/10/2019 को अपरान्ह शाम 03:00 बजे तक ही स्वीकार किया जावेगा तथा दिनांक 10/10/2019 को शाम 05:00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी।
4. जिस निविदाकर्ता द्वारा वाहन की कीमत सबसे अधिक आंकी जावेगी, उसे वाहन उठाने के पूर्व कम से कम पूरी कीमत की आधी राशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. निविदा स्वीकार होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निविदाकर्ता को वाहन उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूर्व में जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
6. वाहन की (अपसेट प्राईज) कीमत प्राप्त नहीं होने पर उक्त नीलामी को निरस्त करते हुए पुनः निविदा बुलाई जावेगी।
7. निविदा में दी गई शर्तों का पालन करने के लिए सभी निविदाकर्ता बाध्य होंगे तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कलेक्टर रायगढ़ का मान्य होगा। कोई भी विवाद न्यायालयीन परिधि में नहीं लाया जा सकेगा।
8. निविदा में दी गई शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी। अन्य परिस्थितियों में अमानत राशि नीलामी की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही वापस की जा सकेगी।

कलेक्टर  
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)